

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 898/2022

अनवान : -

1. ताराचन्द पुत्र चन्दूराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र चन्दूराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. रामेश्वर पुत्र चन्दूराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. छोटूराम पुत्र चन्दूराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 19.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता स0 15/12 की कुल 1. 5180है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि का पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 15/12 के प0न0 367/449(27) के किला न0 4/1 की 0.0387है0 गैमु0 रास्ता, 4/2 की 0.215है0, 5/2 के मिन पश्चिम की 0. 095है0, 6/1 की 0.026है0 गैमु0 रास्ता, 6/2 के मिन उत्तर पश्चिम की 0.0085है0, 7/2 के मिन उत्तर की .0197है0 कुल 0.4022है0 भूमि पर वादी काबिज है तथा प0न0 367/449 (27) के किला न0 7/1 के मिन दक्षिण की 0.2333है0 6/2 के मिन मध्य की 0.105है0 कुल 0. 3383है0 भूमि पर प्रतिवादी स0 1 काबिज है व प0न0 367/449(27) के किला न0 6/2 के मिन दक्षिण की 0.105है0 व प0न0 368/449(28) के किला न0 10 मिन दक्षिण की 0.2333 है0 कुल 0.3383है भूमि पर प्रतिवादी स0 2 काबिज है व प0न0 368/449(28) के किला न0 1/1 की 0. 038 गैमु रास्ता, 1/2 की 0.215है0, 10 के मिन उत्तर की 0.0197है0, प0न0 367/449(27) के किला न0 5/2 के मिन पूर्व की 0.095है0, 5/1 की 0.063है0 गैमु0 रास्ता, 6/2 के मिन उत्तर पूर्व की 0.0085है0 कुल 0.4392है0 भूमि पर प्रतिवादी स0 3 काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा स्वीकार कर लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं० 4 परोकार राज ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादीग की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि का पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के खाता सं० 15/12 के प०न० 367/449(27) के किला न० 4/1 की 0.0387है० गैमु० रास्ता, 4/2 की 0.215है०, 5/2 के मिन पश्चिम की 0.095है०, 6/1 की 0.026है० गैमु० रास्ता, 6/2 के मिन उत्तर पश्चिम की 0.0085है०, 7/2 के मिन उत्तर की .0197है० कुल 0.4022है० भूमि पर वादी काबिज है तथा प०न० 367/449 (27) के किला न० 7/1 के मिन दक्षिण की 0.2333है० 6/2 के मिन मध्य की 0.105है० कुल 0.3383है० भूमि पर प्रतिवादी सं० 1 काबिज है व प०न० 367/449(27) के किला न० 6/2 के मिन दक्षिण की 0.105है० व प०न० 368/449(28) के किला न० 10 मिन दक्षिण की 0.2333 है० कुल 0.3383है० भूमि पर प्रतिवादी सं० 2 काबिज है व प०न० 368/449(28) के किला न० 1/1 की 0.038 गैमु रास्ता, 1/2 की 0.215है०, 10 के मिन उत्तर की 0.0197है०, प०न० 367/449(27) के किला न० 5/2 के मिन पूर्व की 0.095है०, 5/1 की 0.063है० गैमु० रास्ता, 6/2 के मिन उत्तर पूर्व की 0.0085है० कुल 0.4392है० भूमि पर प्रतिवादी सं० 3 काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। वादी अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादी सं० 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता सं० 15/12 की कुल 1.5180है० भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसे वादी एवं प्रतिवादीगण पारिवारिक समझौता अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाना चाहते है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा चन्दुराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं० 1 ता 3 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के

द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता स0 15/12 की कुल 1.5180है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुशतरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 15/12 के प0न0 367/449(27) के किला न0 4/1 की 0.038है0 गैमु0 रास्ता, 4/2 की 0.215है0, 5/2 के मिन पश्चिम की 0.095है0, 6/1 की 0.026है0 गैमु0 रास्ता, 6/2 के मिन उत्तर पश्चिम की 0.0085है0, 7/2 के मिन उत्तर की 0.0197है0 कुल 0.4022है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0न0 367/449 (27) के किला न0 7/1 के मिन दक्षिण की 0.2333है0 6/2 के मिन मध्य की 0.105है0 कुल 0.3383है0 भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0न0 367/449(27) के किला न0 6/2 के मिन दक्षिण की 0.105है0 व प0न0 368/449(28) के किला न0 10 मिन दक्षिण की 0.2333 है0 कुल 0.3383है0 भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0न0 368/449(28) के किला न0 1/1 की 0.038 गैमु0 रास्ता, 1/2 की 0.215है0, 10 के मिन उत्तर की 0.0197है0, प0न0 367/449(27) के किला न0 5/2 के मिन पूर्व की 0.095है0, 5/1 की 0.063है0 गैमु0 रास्ता, 6/2 के मिन उत्तर पूर्व की 0.0085है0 कुल 0.4392है0 भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित घोषित किया जाता है। रहन को पक्षकारान के हिस्से पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक...19/5/23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023
कैम्प कोर्ट-रामगढ़

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 898/2022

अनवान : -

1. ताराचन्द पुत्र चन्दूराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र चन्दूराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. रामेश्वर पुत्र चन्दूराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. छोटूराम पुत्र चन्दूराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 898 सन 2022 निर्ण दिनांक: 1905.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता स0 15/12 की कुल 1.5180है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में रोही मौजा 1 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 15/12 के प0न0 367/449(27) के किला न0 4/1 की 0.038है0 गैमु0 रास्ता, 4/2 की 0.215है0, 5/2 के मिन पश्चिम की 0.095है0, 6/1 की 0.026है0 गैमु0 रास्ता, 6/2 के मिन उत्तर पश्चिम की 0.0085है0, 7/2 के मिन उत्तर की .0197है0 कुल 0.4022है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0न0 367/449 (27) के किला न0 7/1 के मिन दक्षिण की 0.2333है0 6/2 के मिन मध्य की 0.105है0 कुल 0.3383है0 भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0न0 367/449(27) के किला न0 6/2 के मिन दक्षिण की 0.105है0 व प0न0 368/449(28) के किला न0 10 मिन दक्षिण की 0.2333 है0 कुल 0.3383है0 भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0न0 368/449(28) के किला न0 1/1 की 0.038 गैमु0 रास्ता, 1/2 की 0.215है0, 10 के मिन उत्तर की 0.0197है0, प0न0 367/449(27) के किला न0 5/2 के मिन पूर्व की 0.095है0, 5/1 की 0.063है0 गैमु0 रास्ता, 6/2 के मिन उत्तर पूर्व की 0.0085है0 कुल 0.4392है0 भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्से पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-रामगढ़